न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 88 / 2020 अपील (GCMS 2020/00092)
पंजीयन दिनांक– 15 / 01 / 2020
निर्णय दिनांक– 18 / 11 / 2024

1. श्री भूपेन्द्रसिंह पिता फतहलाल सुहालका, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा हाल निवासी दुधिया गणेश जी, सज्जनगढ़ रोड़, उदयपुर।
2. श्री कन्हैयालाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि देवीलाल भील, निवासी एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री मनीष शर्मा	अधिवक्ता अपीलांट्स
2.	श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश संख्या प. 12 / 3 (93) राज / रूपा. / आवा. / 2007 / 1990–95 आदेश दिनांक 30.03.2007

निर्णय

दिनांक 18 / 11 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश संख्या प. 12 / 3 (93) राज / रूपा. / आवा. / 2007 / 1990–95 आदेश दिनांक 30.03.2007 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ

पत्र के साथ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश संख्या प. 12/3 (93) राज/रूपा./आवा./2007/1990–95 आदेश दिनांक 30.03.2007 से ग्राम बुझडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 881 रकबा 0.1200 में से 0.0900, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.0100, खसरा संख्या 883 रकबा 0.0900 में से 0.0700, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.4900 अर्थात 4900 वर्ग मीटर का रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती पुष्पा पत्नि देवीलाल भील के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8(2)/8(3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स् द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.11.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30.03.2007 को पारित किया गया।

उक्त आदेश पारित होने के बाद आज तक उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गई, न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य रेस्पोडेंट्स द्वारा किया गया। यानि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई। संपरिवर्तन आदेश की शर्त संख्या 11(2) "यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 02 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्यावृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रिमियम धन समप्रहत हो जावेगा" उक्त आदेश विधिक आदेश है जिसकी पालना विपक्षीगण द्वारा भू–रूपांतरकरण की दिनांक से 02 वर्ष में किया जाना चाहिए था किन्तु विपक्षीगण ने उक्त आदेश की जानबुझकर अवहेलना की व किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आज तक नही किया गया है। विपक्षीगण द्वरा ग्राम पंचायत, बुझडा का दिनांक 02.03.2007 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच किये जाने पर यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षीगण ने ग्राम पंचायत का फर्जी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। तहसीलदार, गिर्वा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया की मौके पर फसल बो रखी है, यानि कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने आज्ञा के साथ श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार फरमाई जाकर विपक्षीगण का यदि मौके पर कब्जा पाया जावें तो बेदखल किया जावें तथा राज्य सरकार में भूमि जब्त की जावें।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नही है, उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मालिकाना हक की है तथा

रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुसूचित जनजाति के काश्तकार है। धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत केवल हितबद्ध व्यक्ति ही अपील पेश कर सकता है। इस प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। वादग्रस्त भूमि अकृषि के रूप में होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का मकान बना हुआ है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि किस प्रकार से है यह अपीलांट्स ने नहीं बताया है, इस कारण अपीलांट्स को अपील पेश करने अनुमति नही दी जा सकती है। रूपांतरण आदेश दिनांक 30.03.2007 का है एवं अपील उसके 10 वर्षो के बाद मार्च 2017 में पेश की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है तथा इतने लम्बे समय को कण्डोन किये जाने का कोई स्पष्टीकरण अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया गया है। अपीलांट्स को रूपांतरण के बारे में जानकारी शुरू से ही थी, क्योंकि वह राजकीय सेवा में था तथा बुझडा मे होने वाही सारी गतिविधियों की जानकारी रखता था। इस बाबत अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2006 (1) Page 531, RBJ (9) 2002 Page 163, DNJ 1997 Page 747, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील मयाद बाहर तथा अपीलांट्स का हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 30.03.2007 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अब हम अपीलांट्स द्वारा दिये गये धारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा धारा

96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णित किया है कि विपक्षीगण द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच से फर्जी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कृषि भूमि का अकृषि में संपरिर्वन कराया है। उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि है जिसका कृषि के रूप में हस्तांतरण नही हो सकता है। उक्त भूमि आज भी कृषि भूमि है, केवल विक्रय करने के लिये कागजों में अकृषि के रूप में दर्ज है जिससे उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट्स को सार्वजनिक कृषि भूमि के हितार्थ अपील पेश किये जाने की इजाजत प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

- हमारे द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन व अपील मेमों के तथ्यों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.03.2007 से मौजा बुझडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 881 रकबा 0.1200 में से 0.0900, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.0100, खसरा संख्या 883 रकबा 0.0900 में से 0.0700, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.4900 अर्थात 4900 वर्ग मीटर का रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती पुष्पा पत्नि देवीलाल भील के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8(2)/8(3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अपीलांट का यह कथन है कि विपक्षीगण द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच से फर्जी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कृषि भूमि का अकृषि में संपरिर्वन कराया है। उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि है जिसका कृषि के रूप में हस्तांतरण नही हो सकता है। उक्त भूमि आज भी कृषि भूमि है, केवल विक्रय करने के लिये कागजों में अकृषि के रूप में दर्ज है जिससे उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट्स को सार्वजनिक कृषि भूमि के हितार्थ अपील पेश किये जाने की इजाजत प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर रिपोर्ट पटवारी, बुझडा एवं तहसीलदार,

गिर्वा अनुसार मौजा बुझडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 881, 882, 883 एवं खसरा नम्बर 884 किता 4 रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती पुष्पा पत्नि देवीलाल भील के खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि थी। अतः आवेदक के आवेदन पर उक्त पटवारी, बुझडा एवं तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट एवं रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 30.03.2007 से पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है।

- इसके अतिरिक्त अपीलांट्स द्वारा यह सिद्ध नही किया गया कि उक्त विवादित भूमि किस प्रकार सार्वजनिक कृषि भूमि है एवं न ही इस बाबत कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किये है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

- अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते एवं तद्नुसार अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज हो जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर